

शासनादेश सं० 556/43-2-2008-15/02(3) /200टीसी,
दिनांक 6.6.08 का सलग्नक

कार्यालय का नाम :- कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, पीलीभीत ।

क०सं 0	विभाग तथा विभाग के नियन्त्राणधीन /अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनि क निगम/उपक्रम/परिष द /बोर्ड/संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अर्न्तगत तैयार की गयी बैवसाईड पर अपलोड किये गये मैनुअल की सं०	अवशेष मैनुअलों की सं०	अवशेष मैनुअल को पूर्ण करने की तिथि
1	कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, पीलीभीत ।	16	---	---

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
पीलीभीत ।

जनसूचना अधिकार के अर्न्तगत 16 बिन्दुओं की सूचना
कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, पीलीभीत ।

क्रम सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	संगठन की विशिष्टियाँ , कृत्य और कर्तव्य	अभियोजन विभाग अभियोजन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के अधीन श्रीमान महानिदेशक अभियोजन के नेतृत्व व पर्यवेक्षण में कार्यरत है , इसमें कार्यरत अभियोजकों द्वारा अधीनस्थ एवं कुछ सत्र न्यायालयों में लम्बित वादों की राज्य की ओर से अभियोजन कार्य एवं पैरवी की जाती है ।
2	अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1 जनपदीय अभियोजन कार्यालय में कार्यरत अभियोजकों / लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का आहरण वितरण अधिकारी का कार्य ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है । 2 अधीनस्थ एवं कुछ सत्र न्यायालयों में लम्बित वादों का अभियोजन कार्य 3 उ०प्र० शासन/अभियोजन निदेशालय,अपर निदेशक अभियोजन बरेली परिक्षेत्र एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय 2 पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाता है ।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली ,प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व माध्यम सम्मिलित है ।	अभियोजन कार्यालय हेतु एक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ,एक अभियोजन अधिकारी एवं 11 सहायक अभियोजन अधिकारियों , एक आशुलिपिक, एक वरिष्ठ सहायक, एक कनिष्ठ लिपिक एवं एक चपरासी का पद स्वीकृत है जिसमें सभी पद भरे है ,मात्र 4 सहायक अभियोजन अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं । इनका कार्य विभाजन ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है ।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	उ०प्र० शासन/अभियोजन निदेशालय,अपर निदेशक अभियोजन बरेली परिक्षेत्र एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय 2 पर दिये गये निर्देशों

		के अनुसार विधिक प्रकरणों में विधिक अभिमत व न्यायालयों में वादों का अभियोजन कार्य राज्य की ओर से किया जाता है , जिन वादों में विमुक्ति न्यासंगत नहीं होती है ,उसमें अपील प्रस्तावित कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से शासन व शासन के माध्यम से मान0 उच्च न्यायालय भिजवाई जाती है , एवं किम मिस रिट याचिकाओं पर प्रस्तरवार आख्या एवं जबाब तैयार कराये जाते हैं ।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्राणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम ,विनियम,अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	विभागीय नियम,शासनादेश जो समय 2 पर जारी होते हैं , का पालन करते हुये कर्मचारी द्वारा कार्य किया जाता है ।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं ।	सम्बन्धित पटल सहायकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उनके द्वारा रखे जाते हैं इसमें सम्बन्धित नियम,शासनादेश ,प्राप्त प्रार्थना पत्र ,स्वीकृत ,भुगतान आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख शामिल है ।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं	समस्त नीतिगत निर्णय उ0प्र0 शासन , अभियोजन मुख्यालय,स्तर पर लिये जाते हैं एवं जिला स्तर पर निर्देशानुसार कार्यान्वयन होता है श्रइसके अतिरिक्त विधिक रूप से मान0 उच्चतम न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय एवं भारतीय दण्ड विधान, द्र0प्र0सं0 एवं अन्य अधि0 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अभियोजकों द्वारा अभियोजन कार्य सम्पादित किया जाता है ।
8	बोर्ड,परिषदों ,समीतियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इनकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरण क्या इन बोर्डों , परिषदों,समीतियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं ।	यह बिन्दु अभियोजन विभाग में लागू नहीं है ।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	अभियोजन निर्देशिका की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मलित हो ।	1 एसपीओ 10000-15200 2 पीओ 8000-13500 3 एपीओ 6500-10500 4 आशुलिपिक 5000-8000 5 वरिष्ठ सहायक 4500-7000 6 कनिष्ठ लिपिक 3050-4590 7 चपरासी 2550-3200			
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये सवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	क0सं 0	मद सं0	प्राप्त बजट आवटंन	अब तक व्यय धनराशि ।
		1	01 वेतन	1400000 /	447775 /
		2	03 डी0ए0	850000 /	294461 /
		3	50प्रति डीए	700000 /	223045 /
		4	06 अन्य भत्ता	100000 /	31980 /
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मलित हैं ।	यह बिन्दु अभियोजन विभाग में लागू नहीं है ।			
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो , अनुज्ञापत्रों, या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियों	यह बिन्दु अभियोजन विभाग में लागू नहीं है ।			
14	किसी इलैक्ट्रानिक के रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे , जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों ।	अभियोजन विभाग पीलीभीत में जनपद स्तर पर इलैक्ट्रानिक रूप में सूचनाएं अभी उपलब्ध नहीं है ।			
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या बाचन कक्ष के , यदि किसी लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण, घंटे सम्मलित हैं ।	विभाग द्वारा कोई पुस्तकालय एवं बाचन कक्ष लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित नहीं है ।			
16	जनसूचना अधिकारियों के पदनाम और अन्य विशिष्टियों ।	राज्य सहा0जनसूचना अधिकारी सुमत प्रसाद पदनाम अभियोजन अधिकारी मोबाईल नं0 9412870169 कार्यालय दूरभाष 05882255933			

अधिकारी ,

ज्येष्ठ

अभियोजन

पीलीभीत ।